	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-8-19	दिनांक 23-8-19 का राजकीय अवकाश घोषित होने से पत्रावली आज पेश हुई वास्ते स्वविवेक कार्यवाही पत्रावली 18-10-19 को पेश हो।	
18-10-19	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी की ओर से मूल वाद पेश हुई अप्रार्थी उप. वास्ते बहस पत्रावली 13-12-19 को पेश हो।	
13-12-19	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित. बहस प्रार्थना पत्र धारा 212 RTA पर सुनी गई वास्ते आदेश पत्रावली 20-12-19 को पेश हो।	
20-12-19	पत्रावली पेश वकील उभयपक्ष उपस्थित आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA पर आदेश सुनाया गया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर सलग्न मूलवाद रहे।	

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

प्रार्थना पत्र 110/2015 — पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक :– 07.10.2015 — जनक सिंह (RAS)

बउनवान

1. मोती आत्मज बजरंगा जाति मीणा निवासी कोलाशपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

– प्रार्थी –

बनाम

1. रामनारायण आत्मज धूलीलाल जाति मीणा निवासी कोलाशपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
2. रामप्रसाद आत्मज धूलीलाल जाति मीणा निवासी कोलाशपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
3. राजाराम आत्मज धूलीलाल जाति मीणा निवासी कोलाशपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
4. गजेन्द्र आत्मज रामनारायण जाति मीणा निवासी कोलाशपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
5. पूरण आत्मज रामप्रसाद जाति मीणा निवासी कोलाशपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
6. दीपक आत्मज रामप्रसाद जाति मीणा निवासी कोलाशपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
7. खुशीराम आत्मज राजाराम जाति मीणा निवासी कोलाशपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
8. कान्हा आत्मज रामनिवास जाति गुर्जर निवासी कोलाशपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
9. पिन्टु आत्मज रामनारायण जाति मीणा निवासी कोलाशपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
10. द्वारका बाई पत्नि रामनारायण जाति मीणा निवासी कोलाशपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
11. मूर्ति बाई पत्नि रामप्रसाद जाति मीणा निवासी कोलाशपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
12. घीसीबाई पत्नि राजाराम जाति मीणा निवासी कोलाशपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

– अप्रार्थीगण –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित :– श्री सुरेश वर्मा एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
श्री मोहम्मद शरीफ एडवोकेट अप्रार्थीगण की ओर से

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक :– 20.12.2019

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट में प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा नं0 57 रकबा 1.25 हैक्टर वाके ग्राम कोलाशपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी के कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नं0 56 रकबा 4.32 हैक्टर वाके ग्राम कोलाशपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में स्थित है। जो प्रार्थना पत्र का एक भाग है। प्रार्थी एक गरीब काश्तकार है, जो बमुश्किल से जीवन यापन कर रहा है। जबकि अप्रार्थीगण काफी प्रभावशाली एवं जोड तोड वाले व्यक्ति है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 व अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 12 की कृषि भूमि एवं वाद विषयक आराजी की एक ही मेड़ है अर्थात् अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 व अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 12 की कृषि भूमि वाद विषयक कृषि भूमि के समीप है। जिसके कारण अप्रार्थीगण ने आपस मे मिलीभगत करते हुए एक गैर कानूनी गिरोह प्रार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्व बना रखा है। और अप्रार्थीगण अपनी ताकत के बल पर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर जबरन कब्जा करके प्रार्थी को गैर कानूनी तरीके से बेदखल करने पर आमादा है। इसी आशय की पूर्ति हेतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 व अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 12 हथियारों से लैस होकर अप्रार्थी संख्या 8 के ट्रेक्टर को लेकर जिसको अप्रार्थी संख्या 8 चला रहा था और अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 व 9 लगायत 12 ट्रेक्टर में बैठे हुए थें। दिनांक 13.09.2015 को सुबह 7.30 बजे वाद विषयक आराजी को हॉकने के लिए आये और अप्रार्थीगण ताकत के बल पर वाद विषयक आराजी में प्रार्थी की खडी हुई तिल्ली की फसल को हॉकने का नाजायज रूप से प्रयास किया लेकिन प्रार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों ने दीगर लोगो की मदद से अप्रार्थीगण को बडी मुश्किल से रोका गया। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 26.08.2015 को प्रार्थी के खातेदारी अधिकार व कब्जे काश्त की कृषि भूमि को जबरन हाकने का प्रयास किया गया। जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा पुलिस थाना इन्द्रगढ में की गई। अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4 को धारा 107, 151 जा0फो0 में पाबन्द किया गया था। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित आराजी पर करीब 50 वर्षो से प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि व कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थीगण प्रार्थी की वाद विषयक आराजी से बेदखल कर जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर लेगे जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नही हो सकेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि खसरा नं0 57 रकबा 1.25 हैक्टर से अप्रार्थीगण को कोई लेना देना नही है। खसरा नं0 56 रकबा 4.32 हैक्टर सरकारी भूमि है अप्रार्थीगण ने कभी कब्जा करने का कभी प्रयास नही किया गया। अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमारे द्वारा उभय पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिया कि खसरा नं0 57 रकबा 1.25 हैक्टर प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। एवं खसरा नं0 56 रकबा 4.32 हैक्टर सरकारी सिवायचक जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के विरूद्व गैर कानूनी गिरोह बना रखा है। जो प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमि पर से बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा है। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। और क्षति का सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुये तर्क दिया कि चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी से हमारा कोई लेनादेना नही है। चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि सिवायचक भूमि है। सिवायचक कृषि भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र कानूनन पोषनीय नही है। अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

हमारे द्वारा उभपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 खाता संख्या 88 के अनुसार खसरा नं0 57 रकबा 1.25 हैक्टर प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में खसरा नं0 57 रकबा 1.25 हैक्टर पर कब्जा काश्त होने बाबत कोई अभिवचन नही किया गया न ही कब्जा काश्त होने के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नही किये गये। जिनके अभाव में खसरा नं0 57 रकबा 1.25 हैक्टर पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होना पाया जाता है। प्रार्थी खसरा नं0 57 का रिकार्डेड खातेदार है। खातेदार कृषक के सम्बन्ध में कब्जे की उपधारणा कानूनन की जाती है। जब तक की उपधारणा का खण्डन नही किया जाता है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित आराजी खसरा नं0 56 राजकीय सिवायचक कृषि भूमि है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नही समझते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. आशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को दौराने वाद जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह खसरा नं0 57 रकबा 1.25 हैक्टर वाके ग्राम कौलाशपुरा तहसील इन्द्रगढ पर जबरन ताकत के बल पर प्रार्थी को बेदखल नही कर अनाधिकृत रूप से कब्जा नही करें एवं प्रार्थी को काश्त करने से नही रोके। कब्जे काश्त में किसी प्रकार से दखल अन्दाजी नही करें। ऐसा न तो स्वयं करें न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 20.12.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner